

## विक्रय विलेख प्रारूप

विक्रय पत्र कीमती ----- रूपये

विक्रय पत्र बाजार मूल्य ----- रूपये

शुल्क		रूपये	=	पैसे
मुद्रांक शुल्क	:		=	
जनपद शुल्क	:		=	
नगर निगम/न.पा./न.पंचायत शुल्क	:		=	
उपकर शुल्क	:		=	
अतिरिक्त शुल्क	:		=	
योग	:		=	

(विलेख के साथ संलग्न कुल स्टाम्प शुल्क रूपये .....)

विक्रेता :- नाम -----, पिता का नाम -----,  
उम्र -----वर्ष, जाति -----, निवास का पता -----

क्रेता :- नाम -----, पिता का नाम -----,  
उम्र -----वर्ष, जाति -----, निवास का पता -----

प्रतिफल :- विक्रय शुदा संपत्ति के संबंध में प्रतिफल की राशि रूपये (अंकों में)-----  
(शब्दों में-----) आपस में प्राप्त हो गई है या  
रूपये ----- अग्रिम के रूप में प्राप्त किये गये हैं । तथा शेष राशि रूपये  
----- उप पंजीयक के समक्ष प्राप्त होंगे अथवा  
रूपये ----- अग्रिम में प्राप्त किये गये हैं तथा शेष राशि  
रूपये----- रूपये पंजीयन के पश्चात् दिनांक ----- को  
प्राप्त की जाएगी ।

### संपत्ति का विवरण :-

(केवल कृषि भूमि होने की स्थिति में)

ग्राम का नाम -----, प.ह.नं. -----, बन्दोबस्त नम्बर -----, राजस्व  
निरीक्षक मण्डल -----, तहसील -----, जिला -----

खसरा नम्बर ----- रकबा (हेक्टेयर में) ----- लगान (रूपये) -----

भूमि की किस्म : (1) सिंचित धनहा/असिंचित धनहा/भर्री/पड़त/भाटा/कोठार/बाड़ी, (2) एक-फसली/दो-फसली  
(3) मुख्य मार्ग का नाम -----तथा  
उससे (मुख्य मार्ग से) दूरी -----

### संपत्ति की चतुर्सीमा :-

पूर्व में -----, पश्चिम में-----  
उत्तर में -----, दक्षिण में-----

**(केवल भू-खण्ड होने की स्थिति में)**

ग्राम/शहर का नाम \_\_\_\_\_, प.ह.नं. \_\_\_\_\_, बन्दोबस्त नम्बर \_\_\_\_\_,  
राजस्व निरीक्षक मण्डल \_\_\_\_\_, नगर-निगम/नगर-पालिका/नगर-पंचायत का नाम \_\_\_\_\_, वार्ड  
नम्बर \_\_\_\_\_, वार्ड का नाम \_\_\_\_\_, मोहल्ला \_\_\_\_\_, तहसील  
\_\_\_\_\_, जिला \_\_\_\_\_

खसरा नम्बर

रकबा

लगान/परिवर्तित-लगान (रूपये)

- भूखण्ड की लंबाई :** (1) लम्बाई \_\_\_\_\_, चौड़ाई \_\_\_\_\_,  
चारो भुजाओ का वर्णन \_\_\_\_\_  
(3) किस मार्ग पर स्थित है तथा मुख्य मार्ग से दूरी \_\_\_\_\_  
(4) परिवर्तित या अपरिवर्तित \_\_\_\_\_ किस्म  
(5) भूखण्ड का उपयोग – आवसीय/व्यवसायिक/औद्योगिक

**संपत्ति की चतुर्सीमा :-**

पूर्व में \_\_\_\_\_, पश्चिम में \_\_\_\_\_  
उत्तर में \_\_\_\_\_, दक्षिण में \_\_\_\_\_

**(केवल निर्मित क्षेत्र (मकान-भवन/दुकान))**

ग्राम/शहर का नाम \_\_\_\_\_, प.ह.नं. \_\_\_\_\_, बन्दोबस्त नम्बर \_\_\_\_\_,  
राजस्व निरीक्षक मण्डल \_\_\_\_\_, नगर-निगम/नगर-पालिका/नगर-पंचायत का नाम \_\_\_\_\_, वार्ड  
नम्बर \_\_\_\_\_, वार्ड का नाम \_\_\_\_\_, मोहल्ला \_\_\_\_\_, तहसील  
\_\_\_\_\_, जिला \_\_\_\_\_

खसरा नम्बर

रकबा

लगान/परिवर्तित-लगान (रूपये)

- भूखण्ड की लंबाई :** (1) लम्बाई \_\_\_\_\_, चौड़ाई \_\_\_\_\_,  
चारो भुजाओ का वर्णन \_\_\_\_\_  
(3) किस मार्ग पर स्थित है तथा मुख्य मार्ग से दूरी \_\_\_\_\_  
(4) परिवर्तित या अपरिवर्तित \_\_\_\_\_ किस्म  
(5) भूखण्ड का उपयोग – आवसीय/व्यवसायिक/औद्योगिक  
(6) निर्मित क्षेत्र \_\_\_\_\_, खुला क्षेत्र \_\_\_\_\_  
निर्माण का प्रकार \_\_\_\_\_, निर्माण का वर्ष \_\_\_\_\_

**संपत्ति की चतुर्सीमा :-**

पूर्व में \_\_\_\_\_, पश्चिम में \_\_\_\_\_  
उत्तर में \_\_\_\_\_, दक्षिण में \_\_\_\_\_

विक्रेता विलेख में वर्णित संपत्ति का पूर्ण रूपेण स्वामी है तथा अविवादित रूप से उस पर काबिज व दाखिल है । यह संपत्ति सब प्रकार के भारों से मुक्त तथा पाक-साफ है । इसे विक्रय करने का विक्रेता को पूर्ण हक प्राप्त है । विक्रेता को \_\_\_\_\_ (कारणों का उल्लेख) के लिये रूपयों की सख्त आवश्यकता है अतः क्रेता को उक्त संपत्ति विक्रय करने का सौदा प्रतिफल की संपूर्ण राशि के संबंध में यथा दस्तावेज में उल्लेखित के विषय में पूर्ण समाधान पश्चात् मुझ विक्रेता द्वारा यह विक्रय विलेख आज दिनांक को पूर्ण होशो-हवाश में स्वेच्छा से निष्पादित किया गया है ।

विक्रय विलेख की रजिस्ट्री का संपूर्ण खर्च क्रेता द्वारा वहन किया गया है । विक्रय पत्र के निष्पादन दिनांक से विक्रय शुदा संपत्ति का स्वामित्व क्रेता में निहित हो गया है । अब क्रेता अपना नाम राजस्व अभिलेखों तथा अन्य विभागों/कार्यालयों में स्वामी के रूप में अंकित करवा सकता है । संपत्ति के स्वत्व के संबंध में विक्रेता अथवा उसके वारिसान कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे । क्रेता क्रयशुदा संपत्ति का जैसा चाहे उपयोग, उपभोग अथवा अंतरण करे, इस संबंध में विक्रेता तथा उसके वारिसानों को कोई आपत्ति नहीं है और न ही भविष्य में होगी । संपत्ति के स्वत्व के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तथा संपत्ति अथवा उसका हिस्सा क्रेता के कब्जे से निकल जाता है तो इस नुकसान की पूर्ण भरपाई विक्रेता और उसके वारिसानों द्वारा अन्य संपत्ति से की जायेगी । अतः विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया कि, सनद रहे एवं वक्त जरूरत पर काम आवे ।

दस्तावेज तैयार करने वाले का नाम तथा हस्ताक्षर ।

दिनांक :

गवाह (हस्ताक्षर) :-

विक्रेता के हस्ताक्षर

1. \_\_\_\_\_

नाम -

पिता का नाम-

उम्र- \_\_\_\_\_, जाति-\_\_\_\_\_

निवास स्थान-

2. \_\_\_\_\_

क्रेता के हस्ताक्षर

नाम -

पिता का नाम-

उम्र- \_\_\_\_\_, जाति-\_\_\_\_\_

निवास स्थान-













(पंजीयन अधिनियम की धारा 32(1) के तहत फोटो एवं अंगुष्ठछाप संलग्न प्रारूप में लिया जायेगा ।)

### :: विक्रेता द्वारा की जाने वाली घोषणा ::

1. विक्रयशुदा संपत्ति भूदानयज्ञ से प्राप्त, सीलिंग से प्राप्त अथवा शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है ।
2. विक्रयशुदा संपत्ति किसी भी प्रयोजन के लिये बंधक नहीं रखी गई है ।
3. संपत्ति का विवरण विलेख में सत्यता-पूर्वक किया गया है ।
4. संपत्ति के बाजार मूल्य को प्रभावित करने वाले समस्त तथ्यों को उल्लेख किया गया है ।
5. भू-राजस्व संहिता की धारा 165(6) का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षर विक्रेता

**पंजीयन अधिनियम की धारा 32 ( A ) के तहत फोटो एवं अंगुष्ठ छाप**

क्रमांक	बायें हाथ का अंगुष्ठ छाप	पासपोर्ट साइज फोटो	विक्रेता / दावेदार का नाम एवं स्थाई पता
1	2	3	4
1			_____
2			_____
3			_____
4			_____
5			_____
6			_____